उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-1
संख्या:-5/138/14-1-2015-300(18)/2005
लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री यशपाल सिंह मलिक भा0व0से0 के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व उन्हें उपार्जित/अर्द्धवेतन अवकाश के दृष्टिगत देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(ए) (1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या:-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-02-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

सुनील पाण्डेय
सचिव

<u>संख्या:- 138 (1)/14-1-2015तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री यशपाल सिंह मलिक, भा0व0से0 (से0नि0) उप वन संरक्षक, बी0-61, पल्लवपुरम, फेज-।, मेरठ, उ0प्र0- 250001।
3- म्हालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कम्प्यूटर सहायक, वन अनुभाग-1 को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव

http://srisanadesh.up.nic.in